प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 12.12.2025

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में ग्रामीण जोन के सभी थाना क्षेत्रों में समस्त थाना प्रभारी / चौकी प्रभारी, साइबर सेल प्रभारी व मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा प्रत्येक थानास्तर पर 02-02 गांवों में भ्रमण करते हुए निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की गई।

> गांव में ग्राम सुरक्षा समिति का पुनर्गठन कराया गया।

> चयनित गांव से सम्बन्धित अपराधों को अपराध रजिस्टर में अद्यावधिक कराया गया।

> ग्राम के हिस्ट्रीशीट की निगरानी कर एच०एस० रजिस्टर में अद्यावधिक कराया गया।

> साइबर अपराधों से सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु साइबर अपराधों के प्रकार, बचाव/उपाय एवं सुरक्षित डिजिटल उपयोग की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

➤ मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी व एण्टी रोमियो टीम को साथ ले जाकर महिला सम्बन्धी अपराधों के रजिस्टर को अद्यावधिक कराया गया।

> अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों की निगरानी करते हुए हिदायत दी गई।

> गांव के साम्भ्रान्त लोगों की सूची को अद्यावधिक कराया गया।

> गांव के वॉट्सअप ग्रुप से चौकी प्रभारी को जोड़ना, जिससे स्थानीय स्तर पर संज्ञान में आये भूमि विवाद तथा अन्य विवाद के सम्बन्ध में जानकारी कर वार्ता करना।

> आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पूर्व / संभावित प्रत्याशियों व उनके समर्थकों को चिन्हित कर वार्ता करते हुए क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्ययोजना बनाते हुए आवश्यक कार्यवाही करना।

> पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी /कर्मचारीगण की सूची अद्यावधिक रखते हुए, सम्पर्क स्थापित किया गया।

➤ C-Plan के अन्तर्गत गांव क्षेत्र के संभ्रान्त व्यक्तियों की सूची को अद्यावधिक कराया गया।

बेहतर यातायात प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण हेतु यातायात निरीक्षक (पंचम सब जोन) के कार्यालय का उद्घाटन

पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय द्वारा कमिश्नरेट की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से संपूर्ण यातायात प्रबंधन को **03** जोन एवं **09** सब-जोन में पुनर्गठित किया गया है। जोन स्तर पर सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) तथा सब-जोन स्तर पर यातायात निरीक्षक को नामित कर नियुक्त किया गया है।

इसी क्रम में त्वरित यातायात प्रबंधन, बेहतर पर्यवेक्षण, और जनता को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा सभी यातायात निरीक्षकों हेतु कार्यालय निर्माण / पोर्टा केबिन **CSR (Corporate Social Responsibility)** के माध्यम से स्थापित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त यातायात द्वितीय जोन तथा यातायात निरीक्षक पंचम (मोहननगर सब-जोन) द्वारा सतत प्रयास कर मीटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से **CSR** के माध्यम से मोहननगर सब-जोन के यातायात निरीक्षक कार्यालय के लिए मीटा कंपनी के मुख्य गेट के सामने, मोहननगर में एक सुसज्जित पोर्टा केबिन (मय फर्नीचर) का निर्माण कराया गया।

आज दिनांक **12-12-2025** को उक्त पोर्टा केबिन कार्यालय का उद्घाटन पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय द्वारा किया गया। उद्घाटन अवसर पर पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा यातायात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वो पूर्ण मनोयोग, तत्परता एवं प्रभावशीलता के साथ कार्य करते हुए गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयासों को गति दें। यह यातायात निरीक्षक कार्यालय यातायात निरीक्षक के दैनिक राजकीय कार्यों के साथ साथ यातायात के सामान्य होने की स्थिति में आराम करने के लिए भी उपयोगी होंगे।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय/अपराध), अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था/यातायात), पुलिस उपायुक्त-ट्रान्स हिण्डन जोन, पुलिस उपायुक्त-यातायात, सहायक पुलिस आयुक्त-साहिबाबाद, समस्त सहायक पुलिस आयुक्त-यातायात, समस्त यातायात निरीक्षक गण, थाना प्रभारी साहिबाबाद एवं मीटा कंपनी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

गाजियाबाद पुलिस सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कर्तव्य-निष्ठ होकर संकल्पित है ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 22.08.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर आवेदक सतवीर निवासी रामपार्क एक्सटेंसन थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके घर के सामने से मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिना चोरी कर लेना, प्राप्त सूचना के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 12/12/2025 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त श्यामसुन्दर पुत्र सिद्धू सुन्दर निवासी सेक्टर बी 5/6 ट्रोनिका सिटी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने मौका पाकर यह मोटरसाइकिल रामपार्क से चोरी कर ली थी और इस मोटरसाइकिल की नम्बर प्लेट हटा दी जिससे मैं पकडा न जाऊ। मैं मोटरसाइकिल को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

श्यामसुन्दर पुत्र सिद्धू सुन्दर निवासी सेक्टर बी 5/6 ट्रोनिका सिटी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 24.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष का अपने घर से कही चले जाना व वापस ना आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा पीडिता को बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार अभियुक्त धीरज पुत्र दूजा राम निवासी जाट कालोनी 200 फुटा रोड अलवर राजस्थान का नाम प्रकाश में आया जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 87/64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 12.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त धीरज पुत्र दूजा राम निवासी जाट कालोनी 200 फुटा

रोड अलवर राजस्थान को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार करते हुए बताया कि मेरी वादिया की पुत्री से इंस्टाग्राम पर बात हुई थी फिर हम दोनों की दोस्ती हो गयी जिसे मैं अपने साथ लेकर गया था जिसके साथ मैंने शारीरिक सम्बन्ध बनाए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

धीरज पुत्र दूजा राम निवासी जाट कालोनी 200 फुटा रोड अलवर राजस्थान, उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इंस्टाग्राम पर युवती के फोटो पर अपशब्द लिखकर वायरल करने वाले अभियुक्त को हिरासत में लिया गया।

दिनांक 11.12.2025 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त आदिल पुत्र जमील नि0 ग्राम ब्रज बिहार कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा 02 वर्ष पूर्व वादिया (उस समय उम्र 16 वर्ष) को बहला फुसलाकर फोटो खीच लेना, किस करना तथा अब उक्त खीची गयी फोटो पर अभियुक्त द्वारा अपशब्द लिखकर नकली आईडी बनाकर इन्स्टाग्राम पर वायरल करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 354(क) भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट व 67 ITACT के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 12.12.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त आदिल पुत्र जमील नि0 ग्राम ब्रज बिहार कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद को थाना मुरादनगर क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उपरोक्त जुर्म को स्वीकार करते हुये बताया कि मैंने 02 वर्ष पूर्व अपना नाम अजय ठाकुर बताकर वादिया से दोस्ती की थी और उसे बहला फुसलाकर फोटो खीच लिये थे तथा किस भी किया था, परन्तु उसे जब पता चला कि मेरा नाम आदिल है तो उसने बात करनी बंद कर दी थी। मैं उससे दोबारा बात करना चाहता था, परन्तु उसने मना कर दिया तो मैंने गुस्से में आकर उक्त खीची गयी फोटो पर अपशब्द लिखकर नकली आईडी बनाकर इन्स्टाग्राम पर वायरल कर दिये।

अभियुक्त नाम व पता –

आदिल पुत्र जमील निवासी ग्राम ब्रज बिहार कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 1,26,310 रूपये नगद, एक अवैध चाकू, एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस, 04 मोबाइल फोन व एक मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 09.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि तीन अज्ञात व्यक्ति द्वारा Zepto Store बलराम नगर से गल्ले व थैले से लगभग 1,40,000 रूपये चोरी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी। जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 305(a) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना का अनावरण करने हेतु टीमों का गठन किया गया।

आज दिनांक 12.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. अंश सिंह पुत्र चित्रसेन सिंह निवासी अशोक वाटिका थाना टीला मोड गाजियाबाद 2. चेतन शर्मा पुत्र राजबहादुर शर्मा निवासी कबीर नगर थाना शाहदरा दिल्ली 3. लोकेश शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा निवासी डी-ब्लाक हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली 4. सौरभ शर्मा पुत्र सुरेद्र शर्मा निवासी राजीव नगर मंडोली एक्सटेंशन थाना हर्ष विहार दिल्ली को बन्थला नहर के किनारे पर स्थित बिजली घर के पास थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से कुल 1,26,310 रूपये, एक चाकू नाजायज, एक तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस नाजायज, 04 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल स्प्लेन्डर रंग काला बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 317(2)/3(5) बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 09/12/2025 की रात्रि को करीब 01.00 से 01.30 बजे के बीच जेप्टो ऑनलाईन स्टोर से चोरी किये थे तथा अभियुक्तगण अंश, चेतन शर्मा, लोकेश शर्मा द्वारा इसी मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर से करीब 40-50 दिन पहले मन्दिर के

पास लालबाग से विक्की सवार एक व्यक्ति से नसबन्दी तिराहे की तरफ से पीछा कर रूपयो से भरा थैला छीना था जिसमे करीब 36 हजार 200 रूपये व एक खाने का टिफिन था। पैसों को हम तीनों ने आपस मे बांट लिया था तथा टिफिन व थैले को रास्ते में मोटरसाइकिल से जाते समय ही शिव विहार के पास फेक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अंश सिह पुत्र चित्रसेन सिह निवासी अशोक वाटिका थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष
2. चेतन शर्मा पुत्र राजबहादुर शर्मा निवासी कबीर नगर थाना शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष
3. लोकेश शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा निवासी डी-ब्लाक हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष
4. सौरभ शर्मा पुत्र सुरेद्र शर्मा निवासी राजीव नगर मंडोली एक्सटेंशन थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कुल 1,26,310 रूपये
एक चाकू अवैध
एक तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस
04 मोबाइल फोन
एक मोटरसाइकिल स्प्लेन्डर रंग काला (घटना में प्रयुक्त) बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है व अभियुक्तगण पर 01 अभियोग स्नैचिंग का पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।